न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 543 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देदाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।		1 हेमाराम 2 लाखाराम पिसरान चन्दाराम 3 गिरधारीराम 4 लिखमाराम पिसरान वगताराम 5 दुर्गाराम पुत्र सोनाराम 6 गोमाराम 7 चेतनराम पिसरान गोडाराम 8 हेमाराम 9 पुरखाराम पिसरान चमनाराम 10 गैरोदेवी पत्नी पुरखाराम 11 रूपीदेवी पत्नी जेठाराम 12 भूरीदेवी पत्नी हेमाराम 13 खुमाराम 14 देराजराम पिसरान जालूराम 15 रामदान पुत्र उदाराम 16 मोटाराम पुत्र मेहरूराम 17 धाई पत्नी मेहरूराम 18 चेनाराम पुत्र रूगाराम 19 सताराम 20 केशाराम पिसरान जगमालराम 21 अणसीदेवी पत्नी जगमालराम 22 किस्तुरी पुत्री रेखाराम पत्नी नथाराम 23 नथाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी हरखाली तहसील बाटाडू 24 शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू 25 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251—ए RTA Act.

उपस्थिति :—

1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील प्रार्थी पक्ष।
2. श्री खेताराम जाखड़, वकील अप्रार्थी संख्या 22 व 23।

आदेश

दिनांक 28.11.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हरखाली पटवार क्षैत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 641 रकबा 103.00 बीघा भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 23 के खेत मौजा हरखाली पटवार क्षैत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 638 रकबा 211.03 बीघा व खसरा संख्या 637 रकबा 104.05 बीघा में से रास्ते से सरकारी रास्ते तक जाने का एक—मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने—जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 23 की भूमि में से आने—जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 22 व 23 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 22 व 23 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए पड़ौसी खातेदारी की भूमि में ग्रे[illegible] बनी हुई है जो प्रार्थी के सेढे से केवल 40 मीटर दूर है लेकिन प्रार्थी [illegible] जो नजरी नक्शा पेश किया है जिसमे अप्रार्थीगण के खेत के दो टुकड़ों में [illegible] दूरी भी ज्यादा है। नि[illegible]र दूरी कम हो तथा काश्तकार को कम से कम नुकसान हो [illegible] के आधार पर 251ए [illegible] काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता दूर है तथा खेत भी दो भागों में विभक्त हो जायेगा तथा प्रार्थी के खेत के पास ग्रेवल सड़क बहुत कम दूरी पर बनी हुई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा द्वेश भावना व अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह आवेदन प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.01.02 11:40:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

किया गया है, जो नियमानुसार नही है तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना नही करता है। अतः प्रार्थी का आवेदन मय खर्चा खरिज फरमाया जावे। तहसीलदार बाटाडू से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक वाद/2020/88 दिनांक 20.10.2020 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा हरखाली पटवार क्षैत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 641 रकबा 103.00 बीघा भूमि से सरकारी भूमि तक आने-जाने हेतु रास्ते के लिए प्रार्थी के पास खसरा संख्या 637 व 638 के अतिरिक्त कोई भी वैकल्पिक रास्ता है या नही के सम्बन्ध में संलग्न नक्शे में प्रदर्शित बिन्दु सी से जी तक 368 मीटर पड़ती है। वैकल्पिक मार्ग जो निकटतम पडता है जो संलग्न नक्शे में प्रदर्शित है बिन्दु सी से जी तक है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार 40 सीमा विवाद नही होना बताया गया है। उपरोक्त निकटतम मार्ग बिन्दु सी से जी तक में निर्माण नही है। उपरोक्त निकटतम मार्ग हेतु बिन्दु सी से जी तक भूमि खसरा संख्या 638 में आती है, जिसका रकबा 1207 X 20 = 24140 वर्गफीट जिसकी डीएलसी दर 39872/- की दर से 55240/- की दुगनी राशि 110480/- राशि होती है। चाहे गये रास्ते का रकबा 24140 वर्गफीट है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो संलग्न नक्शे में प्रदर्शित बिन्दु एन से ओ तक है जिसकी दूरी 555 मीटर होती है। जिसके खसरा संख्या 637 व 638 के खातेदारों का विरोध है।

तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता स्वीकार किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 22 व 23 को उक्त मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बायतु द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है उक्त मौका रिपोर्ट में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित परिपत्र के अनुसार नही है। लिहाजा तहसीलदार बाटाडू से पुनः मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक राजस्व/2025/371 दिनांक 06.08.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा हरखाली पटवार क्षैत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 638 रकबा 34.1641 हैक्टैयर भूमि में से प्रार्थी के खसरा संख्या 641 ग्राम गोरो की ढाणी तक न्यूनतम दूरी इस प्रकार अनुसार है कि खसरा संख्या 638 एवं खसरा संख्या 719/657 तक राजकीय ग्रेवल सड़क ग्राम पंचायत सिगोडिया द्वारा बनाई हुई है जिससे खसरा संख्या 641 की न्यूनतम दूरी 160 गट्टा है। मौके पर ग्रेवल सड़क राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही किया हुआ है। खसरा संख्या 641 तक पहुचने में न्यूनतम दूरी का रकबा 160 X 3 = 480 वर्ग गट्टा जो कि हैक्टेयर में 0.1942 बनता है जो वर्तमान डीएलसी के अनुसार 60202/- बनता है जिसका दुगूना मूल्य 120404/- रूपये है। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया।

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता स्वीकार किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 22 व 23 ने मौका रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर निराधार एवं गलत तथ्यों पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में नोटिस जारी नही हुए है। मौका रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर तैयार नही की गई है तथा न ही अप्रार्थीगण को सूचना दी गई। मौका रिपोर्ट एक पक्षीय तैयार की गई है, जो रिकॉर्ड पर लेने योग्य नही है। मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.01.02 11:49:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

...ान में विद्यमान नही है प्रार्थी के पास पहले से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाटाडू द्वारा भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार करने हेतु निर्देशित किया परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की गई है, जबकि मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में तथा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिए, जो एक पक्षीय मौका रिपोर्ट होने के कारण पुनः मौका रिपोर्ट बनाने हेतु तहसीलदार बाटाडू को निर्देशित करवाने का आदेश फरमावें।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बायतु व बाटाडू द्वारा दोनों ने ही एक ही स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार बाटाडू ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया है कि खसरा संख्या 638 एवं खसरा संख्या 719/657 तक राजकीय ग्रेवल सड़क ग्राम पंचायत रिगोडिया द्वारा बनाई हुई है जिससे खसरा संख्या 641 की न्यूनतम दूरी 160 गट्टा है। मौके पर ग्रेवल सड़क राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही किया हुआ है। खसरा संख्या 641 तक पहुचने में न्यूनतम दूरी का रकबा 160 X 3 = 480 वर्ग गट्टा जो कि हैक्टेयर में 0.1942 बनता है जो वर्तमान डीएलसी के अनुसार 60202/– बनता है जिसका दुगूना मूल्य 120404/– रूपये है। नजरी नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रकट तथ्यों, पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है तथा तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा हरखाली पटवार क्षेत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 641 भूमि से रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 23 की भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु मौजा हरखाली पटवार क्षेत्र हरखाली तहसील बाटाडू जिला बाडमेर के खसरा संख्या 641 रकबा 34.1641 हैक्टेयर जो तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 05.08.2025 संलग्न नक्शा नजरी नक्शा' में बरंग लाल से दर्शाई गई है। तहसीलदार बाटाडू उक्तानुसार राशि रू. 120404/– प्रार्थी से राजकोष में जमा करावे। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 23 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनांक 05.08.2025 आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.01.02 11:49:48 IST
Reason: SelfAttested

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी बाडमेर

आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर